रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273105
SG-DL-E-03062026-273105

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 63
No. 147] DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948 [N. C. T. D. No. 63

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

F. No. 10(47)/LB/RR/2026/CD No. 021819530/467.—निम्नलिखित सामान्य जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित किया जाता है :–

दिल्ली नगर निगम

(केन्द्रीय संस्थापना विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

F. No:- AO-III/CED/SO-IV/MCD/2026/4102.— दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 3159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के उपरांत, दिल्ली नगर निगम द्वारा निजी सचिव, दिल्ली नगर निगम के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित/नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :– (क) इन विनियमों को निजी सचिव के भर्ती विनियम, 2026 कहा जायेगा।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ इत्यादि :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– कोई भी व्यक्ति, –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली नगर निगम संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति का इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :– जहां दिल्ली नगर निगम का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव :– इस विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1	पद का नाम	निजी सचिव
2	पदों की संख्या	113' (2026) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ख' पद
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	8 टिप्पणी : वेतन मैट्रिक्स में (रु. 47600–151100)
5	क्या चयन पद हैं अथवा गैर चयन पद	चयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा एवं अन्य योग्यताएं	अनिवार्य
		योग्यता : लागू नहीं | अनुभव : लागू नहीं
		वांछनीय
		योग्यता : लागू नहीं | अनुभव : लागू नहीं
		योग्यता मानक नोट | अनुभव मानक नोट
		लागू नहीं | लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पद्धति | प्रतिशत
		प्रतिनियुक्ति | 15
		पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | 75
		कोई अन्य सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा | 10
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन बताया जाना है।	पदोन्नति :– निजी सहायक वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7(रु0 44900–142400) के ग्रेड में 2 वर्षो की नियमित सेवा के साथ जिसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टीप 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ (व्यक्तियों) के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ (व्यक्तियों) के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु तब जब उनके द्वारा

		की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, से इसमे जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ (व्यक्तियों) सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफतलापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :– केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी, जो आशुलिपिक पद को धारित करते हो : (क) (प) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले ; अथवा (पप) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7(रु0 44900–142400) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त ग्रेड में दो वर्षो की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। टीप 2 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पाने वाले उम्मीदवार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा : स्तर–7 (रु0 44900–142400) के ग्रेड में 2 वर्षो की नियमित सेवा रखने वाले दिल्ली नगर निगम के निजी सहायक जिसने निर्णायक तिथि (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री धारण की हो तथा निम्नलिखित कौशल परीक्षण मानदण्डः श्रुतलेख : 10 मिनट, प्रति मिनट 100 शब्दों की गति से। प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर) : 40 मिनट (अंग्रेज़ी) अथवा 55 मिनट (हिन्दी)।

		टीप 3 : निजी सहायक जो गैर–संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर हो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे : बशर्ते कि वह निजी सहायक जिसे किसी गैर–संवर्ग पद पर अथवा स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और जिसके पास निजी सहायक के पद पर कोई आधिपत्य नहीं है, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। टीप 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 03 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होंगी। मानक नोट – लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	विभागीय पदोन्नति समिति – 1. अतिरिक्त आयुक्त (संस्था0) (अध्यक्ष) 2. निदेशक (कार्मिक) (सदस्य) 3. सहायक आयुक्त (संस्था0) (सदस्य) विभागीय पुष्टिकरण समिति – 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य)
13.	वे परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अनिल कुमार यादव, निदेशक (कार्मिक)
दिल्ली नगर निगम

आदेश द्वारा,
राजेश चौधरी, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENTOF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

F. No. 10(47)/LB/RR/2026/CD No. 021819530/467.—The following is published for general information and necessary action:-

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

(Central Establishment Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2026

F. No. AO-III/CED/SO-IV/MCD/2026/4102.— In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission, the Municipal Corporation of Delhi is pleased to make the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of **Private Secretary** in Municipal Corporation of Delhi, namely:-

1. **Short title and Commencement**.- (i) These regulations may be called **Private Secretary Recruitment Regulations, 2026**.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette**.**

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. –** The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) Who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted second marriage with any person; shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Municipal Corporation of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax. –** Where the Municipal Corporation of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union

Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving. –** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

<table>
<tr><td>(1)</td><td>Name of the Post</td><td colspan="2">Private Secretary</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>No. of post</td><td colspan="2">113* (2023) –*Subject to variation depended on workload</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>Classification</td><td colspan="2">Category 'B' Post</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Scale of Pay/ level in pay matrix</td><td colspan="2">8
Remark : (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>Whether selection post or non-selection post</td><td colspan="2">Selection Post</td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>Age limit for direct recruits</td><td colspan="2">Not Applicable</td></tr>
<tr><td rowspan="6">(7)</td><td rowspan="6">Educational and other qualification required for direct recruits</td><td colspan="2">Essential:</td></tr>
<tr><td>Qualification : Not Applicable</td><td>Experience : Not Applicable</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desirable :</td></tr>
<tr><td>Qualification : Not Applicable</td><td>Experience : Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Qualification Standard Note</td><td>Experience Standard Note</td></tr>
<tr><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td>Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes.</td><td colspan="2">Age : NA
Edu. Quali.: NA</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td>Period of probation, if any</td><td colspan="2">NA</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(10)</td><td rowspan="4">Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ Transfer, percentage of vacancies to be filled by various methods</td><td>Method</td><td>Percentage</td></tr>
<tr><td>Deputation</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Promotion failing which Deputation</td><td>75</td></tr>
<tr><td>Any Other
Limited Departmental Competitive Examination</td><td>10</td></tr>
<tr><td>(11)</td><td>In case of Recruitment by Promotion / Deputation / absorption grades from</td><td colspan="2">Promotion:-
Personal Assistant in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix with 2 years regular service in the grade and</td></tr>
</table>

	which Promotion / Deputation /absorption to be made	having successfully completed two to four weeks mandatory training as prescribed by the Competent Authority. *Note 1*:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:-** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government/State Government/ Union Territories:- A. (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years regular service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department. *Note 2*:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the depuationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Limited Departmental Competitive Examination:** Personal Assistant of Municipal Corporation of Delhi in Level-7 (Rs. 44900-142400) in Pay Matrix with two years regular service in the grade and possessing a Bachelors Degree from a recognized University or Institute on the crucial date (i.e. closing date of the application) and following skill test norms: *Dictation*: 10 minutes at 100 words per minute. *Transcription (On Computer)*: 40 Minutes (English) or 55 Minutes (Hindi). *Note 3:-* Personal Assistants who are on deputation to ex-cadre post with the approval of competent authority shall be eligible to be admitted to the examination : Provided that the Personal Assistant who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in Personal Assistant shall not be eligible to be admitted to the examination. *Note 4:-* The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

		organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. **Standard Note:** NA
(12)	If a D.P.C. exists, what is its composition?	**Departmental Promotion Committee** 1. Additional Commissioner (Estt.) (Chairman) 2. Director (Personnel) (Member) 3. Assistant Commissioner (Estt.) (Member)
		Departmental Confirmation Committee: 1. NA (Chairman) 2. NA (Member) 3. NA (Member)
(13)	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.

ANIL KUMAR YADAV, Director (Personnel)

Municipal Corporation of Delhi

By Order

RAJESH CHOUDHARY, Jt. Secy. (UD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.03 15:34:35 +05'30'